उ0प्र0 विशेष आर्थिक परिक्षेत्र नई नीति 2006

भाग-क : वित्तीय छूट / सुविधायें, व्यवस्थाओं का सरलीकरण

केन्द्रीय अधिनियम-एस.ई.जेड. एक्ट, 2005 की धारा-50 के अन्तर्गत राज्यों से अपेक्षा की गई है कि वे भी विशेष आर्थिक परिक्षेत्रों के लिये सुविधायें/छूट देने के उद्देश्य से नीति व अधिनियम बनायें । उपर्युक्त पृष्ठभूमि में उ0प्र0 विशेष आर्थिक परिक्षेत्र नई नीति का निर्माण भारत सरकार के विशेष आर्थिक परिक्षेत्र अधिनियम-2005 एवं विशेष आर्थिक परिक्षेत्र नियमावली-2006 एवं विभिन्न प्रदेशों के सुसंगत विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विषयक नीतियों की विवेचना के उपरान्त उत्तर प्रदेश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास तथा विशेष आर्थिक परिक्षेत्रों के विकास के लिये अनुकूल वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। इस परिक्षेत्र में राज्य में विशेष आर्थिक परिक्षेत्रों को प्रोत्साहित करने तथा सभी आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह नीति बनाई गई है ।

2- **विशेष आर्थिक परिक्षेत्रों की मुख्य विशेषतायें निम्नलिखित होंगी :-**

1- विशेष आर्थिक परिक्षेत्रों की स्थापना से विश्व-स्तरीय अवस्थापना सुविधाओं से पूर्ण एकीकृत क्षेत्रों का विकास होगा ।

2- विशेष आर्थिक परिक्षेत्रों के सफल संचालन से देश एवं प्रदेश में तीव्र आर्थिक व औद्योगिक विकास के साथ-साथ रोजगार के नये-नये अवसर भी सृजित होंगे । इस प्रकार विशेष आर्थिक परिक्षेत्रों का देश एवं प्रदेश के आर्थिक विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका है ।

3- विशेष आर्थिक परिक्षेत्रों की स्थापना से निर्यात को बढ़ावा मिलेगा तथा घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी-निवेश भी आकर्षित होंगे तथा विदेशी एवं आधुनिक तकनीकी भी देश में आयेगी ।

4- विशेष आर्थिक परिक्षेत्रों को विभिन्न करों आदि में छूट तथा श्रम, पर्यावरण, विद्युत आदि से सम्बंधित नियमों/कानूनों मे सरलीकरण/छूट दिये जाने का प्रावधान है ।

3- **राज्य स्तरीय छूट/सुविधायें/सरलीकरण की नीति**

(1) **राज्य स्तरीय करों, लेवी, सेस, शुल्क, ड्यूटीज़ आदि में छूट से सम्बंधित नीति**

(निम्नलिखित समस्त छूट सम्बंधित बिन्दुओं पर सम्बंधित विभागों द्वारा अधिसूचना जारी करने की तिथि से लागू होंगी)

1. विशेष आर्थिक परिक्षेत्रों के विकासकर्ता तथा सह विकासकर्ता तथा वहाँ स्थापित इकाइयों को एस.ई.जेड. के विकास आयुक्त द्वारा प्राधिकृत ''ऑपरेशन्स'' हेतु प्रदेश में लागू सभी प्रकार के करों, लेवियों तथा सेस अथवा अन्य स्थानीय निकायों तथा अभिकरणों के करों से मुक्त रखा जायेगा जो कि विशेष आर्थिक परिक्षेत्र के अन्दर ट्रांजैक्सन करने तथा माल अथवा सेवायें डोमेस्टिक टैरिफ एरिया (डी.टी.ए.) से प्राप्त करने पर लागू होगा । डी.टी.ए. की इकाइयों द्वारा विशेष आर्थिक परिक्षेत्र के विकासकर्ता, सह विकाससर्ता अथवा इकाइयों को विकास आयुक्त द्वारा प्राधिकृत ''ऑपरेशन्स'' हेतु बेचे गये माल पर छूट प्राप्त होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश व्यापार- कर,

टर्न ओवर, विकास कर, मण्डी शुल्क, क्रय कर, निकाय शुल्क, इण्ट्री शुल्क आदि शामिल हैं ।

2. विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकासकर्ता तथा इकाइयाँ स्थानीय निकायों द्वारा लगाये जाने वाले करों से भी मुक्त होंगी क्योंकि विशेष आर्थिक परिक्षेत्र भारत के संविधान के अन्तर्गत एक औद्योगिक टाउनशिप होगी तथा विशेष आर्थिक परिक्षेत्र की आन्तरिक सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिये उत्तरदायी होगा ।

3. विशेष आर्थिक परिक्षेत्र के विकासकर्ता, सह विकासकर्ता तथा वहाँ स्थापित होने वाली/स्थापित इकाइयों को प्रथम ट्रान्जेक्शन पर स्टैम्प ड्यूटी तथा रजिस्ट्रेशन शुल्क पर पूर्ण छूट मिलेगी परन्तु केन्द्रीय अधिनियम एस.ई.जेड. एक्ट-2005 के थर्ड शिड्यूल के अनुसार भारतीय स्टाम्प अधिनियम-1899 में किये गये संशोधन लागू होने की स्थिति में तद्नुसार छूट अनुमन्य होगी ।

4. विशेष आर्थिक परिक्षेत्र से ''डोमेस्टिक टेरिफ एरिया'' (डी.टी.ए.) में की गई बिक्री आयात मानते हुए विभिन्न केन्द्रीय एवं राज्य कर देय होने की व्यवस्था अभी नहीं लागू की जा रही है, क्योंकि अधिकाँश राज्यों में ऐसी व्यवस्था नहीं हैय भविष्य में अन्य राज्यों की स्थिति के दृष्टिगत पुनर्विचार किया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण

(क) वाहनों पर पंजीकरण शुल्क देय होगा । यथास्थिति स्थायी/अस्थाई पंजीकरण कराना आवश्यक होगा तथा निर्यात के लिये नियम-33 के अन्तर्गत व्यापार प्रमाण-पत्र लेना होगा जिस पर शुल्क देय होगा । यात्री/माल परिवहन यान, जो केवल एस.ई. जेड. के भीतर ही चालित होने हैं, तथा किसी भी दशा में बाहर नहीं आना हो, पर कर तथा अतिरिक्त कर से छूट दी जायेगी-अन्य प्रकार के वाहनों को नहीं।

(ख) खनिजों पर रायल्टी पूर्ववत लागू रहेगी तथा इसमें कोई छूट का प्रावधान नहीं होगा ।

(2) **<u>विद्युत से सम्बंधित नीति</u>**

1- विशेष आर्थिक परिक्षेत्र के संसाधन क्षेत्र में उपयोगार्थ उत्पादित अथवा क्रय की गई ऊर्जा पर विद्युत ड्यूटी और करों से उत्पादन अथवा सेवा प्रारम्भ करने की तिथि से दस वर्षों के लिये छूट दी जाएगी ।

2- विद्युत अधिनियम 2003 (2003 की संख्या 36) के प्रावधानों के अधीन विशेष आर्थिक परिक्षेत्र के अन्तर्गत विद्युत के उत्पादन सम्प्रेषण और वितरण की अनुमति होगी । विद्युत अधिनियम-2003 के अन्तर्गत जहाँ पर भी उ0प्र0 राज्य विद्युत नियामक आयोग की सहमति की आवश्यकता होगी, उसे प्राप्त की जाएगी ।

3- विशेष आर्थिक परिक्षेत्रों को उत्तर प्रदेश ऊर्जा नीति के अन्तर्गत अनुमन्य सभी सुविधांए उपलब्ध करायी जाएंगी ।

(3) **<u>श्रम नियमों में सरलीकरण</u>**

1- श्रम कानूनों को लागू करने के सम्बंध में श्रम कानूनों के अन्तर्गत श्रमायुक्त के अधिकारों को विशेष आर्थिक परिक्षेत्र के विकास आयुक्त को प्रतिनिधानित किया जायेगा तथा श्रम विभाग के नामित अधिकारी को सम्बंधित विशेष आर्थिक परिक्षेत्र में तैनात किया जायेगा ।

2- विशेष आर्थिक परिक्षेत्र में श्रम कानूनों के अन्तर्गत एकल खिड़की सेवा उपलब्ध कराने हेतु श्रम विभाग के कुछ अधिकारियों की सेवा विकास आयुक्त के निस्तारण पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था बनायी जायेगी ।

3- कार्मिकों के स्वास्थ्य तथा सुरक्षा सम्बंधी निरीक्षणों के लिये उत्तर प्रदेश सरकार सर्वोत्तम अन्तर्राष्ट्रीय तरीकों को इस्तेमाल करते हुये इकाइयों को, मान्यता प्राप्त एजेन्सियों से निरीक्षण की अनुमति देगी, परन्तु कारखाना अधिनियम, 1948 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत परिसंक्रामक पदार्थों के प्रबन्धन में सुरक्षा की व्यवस्था व अन्य केन्द्रीय नियमों/कानूनों में भारत सरकार की अनुमति से बाहरी एजेन्सी से निरीक्षण की व्यवस्था का प्रयास श्रम विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा किया जाएगा ।

4- औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत विशेष आर्थिक परिक्षेत्र इकाइयों की सार्वजनिक उपयोग सेवा (पब्लिक यूटिलिटी सर्विस) का दर्जा प्रदान किया जायेगा ।

5- उत्तर प्रदेश सरकार सभी श्रम कानूनों को आच्छादित करते हुए रिपोर्टिंग हेतु एक फारमेट (प्रारूप) अधिसूचित करेगी । श्रम विभाग द्वारा वर्तमान एकल फारमेट में और भी सरलीकरण का प्रयास किया जाएगा ।

(4) **<u>निरीक्षण से सम्बंधित नीति</u>**

1- सभी भौतिक निरीक्षणों हेतु विकास आयुक्त से विचार-विमर्श कर एक अनुसूची तैयार की जायेगी, जिसके अनुसार निरीक्षण किये जायेंगे ।

2- किसी नियम के उल्लंघन की विशिष्ट एवं स्पष्ट सूचना होने पर निरीक्षणकर्ता एजेन्सी प्रस्तावित निरीक्षण हेतु विकास आयुक्त से पूर्वानुमति प्राप्त करेगी ।

<u>स्पष्टीकरण</u>

आबकारी विभाग द्वारा निर्माण (मैन्यूफैक्चरिंग) प्रक्रिया की मॉनीटरिंग हेतु समुचित व्यवस्था नियमों के अन्तर्गत की जायेगी ।

(5) **<u>अनुमति प्रक्रिया (सिंगिल प्वॉइण्ट्स/विण्डो क्लियरेन्स सिस्टम)</u>**

1- राज्य द्वारा एस.ई.जेड. के अन्तर्गत विभिन्न इकाइयों के लिये अनुमतियाँ एक ही बिन्दु पर उपलब्ध कराई जाएंगी । राज्य सरकार के समस्त विभाग एस.ई.जेड. के विकास आयुक्त अथवा उनके अधीन गठित समिति के माध्यम से इसकी व्यवस्था करेंगे तथा इस उद्देश्य हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करेंगे तथा तद्नुसार अनुमति जारी करने की व्यवस्था करेंगे ।

2- प्रत्येक विशेष आर्थिक परिक्षेत्र में विकास आयुक्त के अधीन एक समिति गठित की जायेगी, जिसमें सभी सम्बंधित विभागों के प्रतिनिधि तथा विशेषज्ञ शामिल होंगे । इस समिति को प्रदेश सरकार से सम्बंधित सभी अनुमतियाँ प्रदान करने का अधिकार होगा तथा केन्द्र सरकार से सम्बंधित अनुमतियाँ प्रदान कराने में सहयोगकर्ता का कार्य करेगी तथा व्यक्तिगत् इकाई को प्रार्थना-पत्र की प्राप्ति के पश्चात् सभी सम्बंधित विभागों से पूर्व निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत सभी अनुमतियाँ प्रदान करने की व्यवस्था करेगी ।

3- एस.ई.जेड. एक्ट-2005 की धारा-14 (जी) के तहत सम्बंधित विभाग अनुमति के सम्बंध में अपनी शक्तियों का प्रतिनिधायन/कार्य बंटवारा धारा-13 के तहत गठित एप्रूवल कमेटी को अधिकृत करेंगे ।

4- अधिकांश राज्य सम्बंधी अनुमतियाँ स्वचालित अनुमति व्यवस्था के अधीन लायी जायेगी, अर्थात् विकासकर्ता अथवा इकाई द्वारा कार्योत्तर दी गयी सूचना पर्याप्त होगी।

5- राज्य सम्बंधी अनुमतियों हेतु उत्तर प्रदेश सरकार एक संगठित प्रार्थना-पत्र अधिसूचित करेगी तथा विकास आयुक्त द्वारा जारी किये गये अनुमति-पत्र में प्रार्थना-पत्र द्वारा आच्छादित सभी विषयों का उल्लेख किया जायेगा ।

स्पष्टीकरण

(क) आबकारी विभाग सम्बंधी इकाइयों को स्थापित करने हेतु अनुमति आदि उपरोक्त व्यवस्था से बाहर होगी ।

(6) <u>पर्यावरणीय प्रक्रियाओं का सरलीकरण</u>

1- गैरप्रदूषणकारी उद्योगों की एक सूची अनुसूचित की जायेगी, जिनके बारे में अलग से पर्यावरणीय अनापत्ति प्रमाण-पत्र की आवश्यकता विशेष आर्थिक परिक्षेत्र में नहीं होगी । शेष उद्योगों में एवं ऐसे जिन मामलों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी/विशेष आर्थिक परिक्षेत्र में तैनात उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी को अधिकारों का प्रतिनिधायन विधिक दृष्टि से संभव है, उनमें उक्त अधिकार प्रतिनिधानित किये जा सकते हैं। संगत अधिनियमों/नियमों के तहत प्रक्रिया का पालन किया जाएगा ।

2- प्रदेश सरकार विशेष आर्थिक परिक्षेत्र के आस-पास अनियोजित विकास को रोकने के लिये सभी समुचित कदम उठायेगी एवं यथासम्भव आस-पास हरित पट्टी विकसित करने पर विचार करेगी ।

3- प्राईवेट एजेन्सियों के माध्यम से आवर्ती रिटर्न भेजने में स्व-प्रमाणीकरण की व्यवस्था लागू की जाएगी । रेण्डम सैम्पलिंग के आधार पर पर्यवेक्षण (मॉनेटरिंग) हेतु विकास आयुक्त को अधिकृत किया जाएगा ।

4- किसी विशेष आर्थिक परिक्षेत्र स्थापित किये जाने के प्रस्ताव की संस्तुति करने के दौरान राज्य सरकार, भारत सरकार के बोर्ड ऑफ एप्रूवल को यह इंगित करेगी कि प्रस्तावित क्षेत्र ऐसे संरक्षित या इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरिया के अन्तर्गत तो नहीं आता है जो कि सम्बंधित प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है । इस सम्बंध में औद्योगिक/नगरीय विकास प्राधिकरणों द्वारा आवण्टित भूमि जो विशेष आर्थिक परिक्षेत्र हेतु प्रस्तावित की गयी हो, के संरक्षित या इकोलॉजिकली फ्रेजाईल एरिया में नहीं आने के सम्बंध में राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को संस्तुति भेज दी जाएगी। शेष के सम्बंध में वन विभाग व पर्यावरण विभाग के परामर्श से संस्तुति भेजी जाएगी।

(7) **<u>विशेष आर्थिक परिक्षेत्रों के सम्बंध में राज्य सरकार के विकासात्मक स्वरूप एवं अन्य प्रतिबद्धताओं के सम्बंध में नीति</u>**

1- विशेष आर्थिक परिक्षेत्रों की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में तथा पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप (पी.पी.पी.) मॉडल पर की जाएगी ।

2- उत्तर प्रदेश सरकार विशेष आर्थिक परिक्षेत्रों को औद्योगिक नगरी (इण्डस्ट्रियल टाउनशिप) घोषित करेगी, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू में प्राविधानित है।

3- विशेष आर्थिक परिक्षेत्र को स्थानीय मास्टर प्लान में एक विशेष क्षेत्र अंकित किया जाएगा। जिसके जोनिंग रेग्युलेशन तथा अनुमन्य भू-उपयोग में, वृहद् मापदण्डों के अन्दर रहते हुए, पर्याप्त लचीलापन विकासकर्ता को उपलब्ध होगा।

4- राज्य सरकार विकासकर्ता तथा इकाइयों को जल की उपलब्धता के विषय में फैसिलीटेटर का कार्य करेगी ।

(8) भारत सरकार के एस.ई.जेड. एक्ट-2005 एवं रूल्स-2006 के अन्तर्गत राज्य सरकार की ओर से वांछित कार्यवाही हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में राज्य सरकार की एक प्राधिकृत समिति गठित की जायेगी, जिसमें सम्बंधित विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव तथा अन्य सम्बंधित अधिकारी सम्मिलित होंगे । विशेष आर्थिक परिक्षेत्र के अधिकारियों तथा विकासकर्ता को भी आवश्यकतानुसार आमंत्रित किया जाएगा ।

उपर्युक्त प्राधिकृत समिति के कार्य एवं अधिकार निम्नवत् होंगे :-

1- समिति द्वारा प्रदेश सरकार को प्राप्त सभी एस.ई.ज़ेड. (वर्तमान में प्राप्त निजी क्षेत्रों के एस.ई.ज़ेड. के प्रस्तावों सहित) के प्रस्तावों पर भारत सरकार एक्ट एवं रूल्स तथा राज्य सरकार की उपर्युक्तानुसार प्रस्तावित नीति के अन्तर्गत् परीक्षण करके भारत सरकार को एस.ई.जेड. ऐक्ट-2005 की धारा-3 के अन्तर्गत संस्तुति प्रदान करने हेतु विचार करना ।

2- विशेष आर्थिक परिक्षेत्रों की स्थापना एवं कार्यान्वयन के सम्बंध में वे अन्य कार्य करना, जो राज्य सरकार सौंपे ।

3- किसी एस.ई.जेड. के द्रुत एवं प्रभावी क्रियान्वयन तथा सफल संचालन में आ रही बाधाओं को दूर करने हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करना ।